उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-91/2015/3680/92-1-2015-26डब्लू/2013,
लखनऊ: दिनांक: 11 अगस्त, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

श्री अच्छे लाल, सहायक अभियंता (सेवानिवृत्त दिनांक 31-01-2012), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा अपनी सेवानिवृत्तिक देयकों का भुगतान किये जाने एवं ए0सी0पी0 आदि का लाभ अनुमन्य कराये जाने हेतु मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ के समक्ष निर्देश याचिका सं0-89/2013 अच्छे लाल सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी थी। मा0 अधिकरण द्वारा उक्त निर्देश याचिका को अन्तिम रूप से निस्तारित करते हुये आदेश एवं निर्णय दिनांक 03-01-2014 पारित किया गया, जिसका क्रियात्मक अंश निम्नवत है :-

> "The petition is allowed. The opp. parties are directed to release all the pensionary benefits of the petitioner including gratuity and other funds etc. including promotion and A.C.P. denied to him on the basis of office memorandum dated 06-02-2006, according to law. However, considering the facts of this case, the petitioner is not entitled for the interest. There is no order as to costs. "

2- याची श्री अच्छे लाल के विरूद्ध शासन के कार्यालय-ज्ञाप सं0-6346(7)/62-3-2005-121आरई/2004, दिनांक 06-2-2006 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय-ज्ञाप सं0-3983/92-2014-121आरई/2004टीसी, दिनांक 24-9-2014 द्वारा बिना किसी दण्ड के समाप्त की गयी। श्री अच्छे लाल के विरूद्ध प्रचलित अन्य 02 अनुशासनिक कार्यवाहियों को भी क्रमशः कार्यालय-ज्ञाप सं0-4301/92-2014-38आरई/1997, दिनांक 26-9-2014 एवं कार्यालय-ज्ञाप सं0-295/92(प्रकोष्ठ)/14-10जॉच/2013, दिनांक 18-11-2014 द्वारा बिना किसी दण्ड के समाप्त किया गया।

3- श्री अच्छे लाल के विरूद्ध प्रचलित उक्त अनुशासनिक कार्यवाहियॉ समाप्त हो जाने के फलस्वरूप शासन के पत्र सं0-344सी/92-2014-92सीडब्लू/2014, दिनांक 18-11-2014 द्वारा अन्य के साथ-साथ याची श्री अच्छे लाल को ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य कराये जाने पर विचार किये जाने हेतु समेकित प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु निदेशक एवं मुख्य अभियंता से अनुरोध किया गया एवं शासन के पत्र सं0-5744/92-2014-80सीडब्लू/2014, दिनांक 15-12-2014 द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को याची श्री अच्छे लाल को सेवानिवृत्तिक देयकों का नियमानुसार भुगतान कराये जाने के निर्देश दिये गये।

4- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के अनुक्रम में याची श्री अच्छे लाल को मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश दिनांक 03-01-2014 के अनुपालन में द्वितीय चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान एवं ए0सी0पी0 का लाभ अनुमन्य कराये जाने पर विचार किये जाने हेतु कार्यालय-ज्ञाप सं0-2987/92-1-2015-26डब्लू/2013, दिनांक 06-7-2015 द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया।

5- उक्त स्क्रीनिंग कमेटी की दिनांक 08-7-2015 को सम्पन्न बैठक में श्री अच्छे लाल के सेवा अभिलेखों/ब्राडशीट एवं संगत सेवा नियमों पर सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति के अनुक्रम में श्री अच्छे लाल, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता को, उनके द्वारा सहायक अभियंता के पद पर 18 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 07-2-2002 से द्वितीय चिन्हित वैयक्तिक वेतनमान रू0 3700-5000 (पुनरीक्षित रू0 12000-16500) तथा सहायक अभियंता के पद पर कुल 26 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 07-02-2010 से सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन की व्यवस्था के अन्तर्गत तृतीय ए0सी0पी0 के रूप में ग्रेड वेतन रू0 8700/- अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीक़ति प्रदान करते हैं।

डा0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या- 91 /2015/3680(1)/92-1-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- श्री अच्छे लाल, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।